न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी नखतदान बारहठ आर ए एस

राजस्व अपील / 225 / रा.का.अधि. / 31 / 2021 / बाड़मेर

अपीलांट		**रेस्पोडेंटगण**
1. निम्बाराम पुत्र पांचाराम जाति जाट निवासी लुखू तहसील धौरीमन्ना जिला बाड़मेर	बनाम	1.पारूदेवी पत्नी राजूराम 2.मगाराम पुत्र पांचाराम जाति जाट निवासी लुखू तहसील धौरीमन्ना जिला बाड़मेर 3.व्यवस्थापक, मरूधरा ग्रामीण बैंक शाख धौरीमन्ना 4.श्रीमान तहसीलदार धोरीमन्ना जिला बाड़मेर

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध सहायक कलक्टर धौरीमन्ना द्वारा राजस्व आवेदन संख्या 95 / 2019 बअनवान पारूदेवी बनाम निम्बाराम वगै. में पारित निर्णय दिनांक 08.06.2021 के विरूद्ध पेश हुई ।

उपस्थित

1. वकील श्री लाधुराम पूनिया अपीलांट की ओर से।
2. वकील श्री रोशनलाल विश्नोई अधिवक्ता श्री ओमप्रकाश विश्नोई की ओर से।

निर्णय

दिनांक:– 17.09.2021

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीनी की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 396 / 3 रकबा 06 बीघा मौजा लुखू पटवार मण्डल लुखू तहसील धौरीमन्ना जिला बाड़मेर में अवस्थित है जिससे लगता हुआ विप्रार्थी संख्या 01 व 02 के खातेदारी खेत खसरा संख्या 401 रकबा 36.06 बीघा प्रार्थीनी के खेत एवं सड़क के मध्य पड़ता है। प्रार्थीनी को सड़क तक पहुंचने के लिये विप्रार्थीगण के उक्त खेत में से चलने वाले तथाकथित कदीमी प्रचलित रास्ते से होकर गुजरना पड़ता है इसलिए अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक आवेदन अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत इस आशय का पेश किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 10.10.2019 को उतरदाता सख्या 01 द्वारा एकपक्षीय मौका रिपोर्ट मंगवाने हेतु आवेदन पेश किया जिस पर अधीनस्थ

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

न्यायालय द्वारा एकपक्षीय मौका रिपोर्ट मंगवाई गई। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट द्वारा दिनांक 17.10.2019 को वकालतनामा पेश किया गया तथा उसी रोज हस्तगत मौका फर्द पेश हुई जो सही थी लेकिन उसी रोज उतरदाता संख्या 01 द्वारा मौका रिपोर्ट पुनः मंगवाने का आवेदन पेश किया गया तथा प्रार्थना–पत्र जबाव हेतु नियत किया गया तथा अपीलांटगण का जवाब रेकर्ड पर लिये बिना ही उतरदाता संख्या 01 द्वारा दुबारा मौका रिपोर्ट मंगवाने का प्रार्थना–पत्र दिनांक 08.10.2020 को स्वीकार किया जाकर तहसीलदार धौरीमन्ना से पुनः मौका रिपोर्ट मंगवाने हेतु तहरीर जारी की गई जिस पर तहसीलदार स्वंय द्वारा मौके पर न जाकर नीचे स्तर के अधिकारी आर आई लुखू ने लगत रूप से मौका रिपौर्ट तैयार कर नया विकल्प अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश किया। जिस पर अपीलांट द्वारा लिखित आपति उठाई गई परन्तु अपीलांट के आपत्ति प्रार्थना–पत्र को खारिज कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के विरूद्ध जाकर पारित किया गया जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ होने से काबिल निरस्त योग्य है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। उपस्थित दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। उतरदाता संख्या 01 के पास पहले से वैकल्पिक रास्ता मौजूद है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 10.10.2019 को उतरदाता सख्या 01 द्वारा एकपक्षीय मौका रिपोर्ट मंगवाने हेतु आवेदन पेश किया जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा एकपक्षीय मौका रिपोर्ट मंगवाई गई। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट द्वारा दिनांक 17.10.2019 को वकालतनामा पेश किया गया तथा उसी रोज हस्तगत मौका फर्द पेश हुई जो सही थी लेकिन उसी रोज उतरदाता संख्या 01 द्वारा मौका रिपोर्ट पुनः मंगवाने का आवेदन पेश किया गया तथा प्रार्थना–पत्र जबाव हेतु नियत किया गया तथा

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

अपीलांटगण का जबाव रेकर्ड पर लिये बिना ही उतरदाता संख्या 01 द्वारा दुवारा मौका रिपोर्ट मंगवाने का प्रार्थना–पत्र दिनांक 08.10.2020 को स्वीकार किया जाकर तहसीलदार धौरीमन्ना से पुनः मौका रिपोर्ट मंगवाने हेतु तहरीर जारी की गई जिस पर तहसीलदार स्वंय द्वारा मौके पर न जाकर नीचे स्तर के अधिकारी आर आई लुखू ने लगत रूप से मौका रिपोर्ट तैयार कर नया विकल्प अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश किया। जिस पर अपीलांट द्वारा लिखित आपति उठाई गई परन्तु अपीलांट के आपत्ति प्रार्थना–पत्र को खारिज कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के विरूद्ध जाकर पारित किया गया जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त फरमाया जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो मौका रिपोर्ट मंगवाई गई उसके आधार पर प्रार्थीनी की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 396/3 रकबा 06 बीघा मौजा लुखू पटवार मण्डल लुखू तहसील धौरीमन्ना जिला बाड़मेर में अवस्थित है जिससे लगता हुआ विप्रार्थी संख्या 01 व 02 के खातेदारी खेत खसरा संख्या 401 रकबा 36.06 बीघा प्रार्थीनी के खेत एवं सड़क के मध्य पड़ता है। प्रार्थीनी द्वारा जहां से रास्ता मांगा गया था वहां से प्रार्थीनी की जोत तक पहुंचने के लिए निकटतम रास्ता है लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त रास्ता इसलिए स्वीकृत नहीं किया गया कि अपीलांट की जोत के दो टुकड़े नहीं हो। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रस्तावित रास्ते के अलावा प्रार्थीनी की जोत में आने–जाने के लिए कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं होना जाहिर किया है। रेस्पोडेंट को उक्त रास्ते की अत्यंत आवश्यकता है। रास्ता रेस्पोडेंट/प्रार्थी की मूलभूत आवश्यकता है जिसका प्रावधान राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए में किया गया है। अतः अपीलांट की अपील खारिज कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को यथावत रखा जावे।

राजस्व अपील अधिकारी
बाड़मेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन करने के पश्चात अपीलांट पक्ष के द्वारा अपीलाधीन निर्णय के संबंध में किये गए आक्षेपों के संदर्भ में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थीनी द्वारा दिनांक 17.10.2019 को पुनः मौके की रिपोर्ट मंगवाने बाबत आवेदन पेश किया जिसका जवाब देने हेतु अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा चार अवसर दिये गये बावजूद अवसर के जबाव पेश नहीं किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उभयपक्ष की बहस को सुन कर प्रार्थीनी का आवेदन स्वीकार कर पुनः मौका रिपोर्ट मंगवाई गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय में प्रदत्त रास्ता के संबंध में मौका रिपोर्ट मय नक्शा दिनांक 27.01.2021, जो तहसीलदार के पत्र क्रमांक भू.अ./2021/100 दिनांक 28.01.2021 को पेश हुई, का अवलोकन किया जिसके बिंदु संख्या 01 में यह स्पष्ट किया गया है कि **प्रार्थीनी के खसरा संख्या 396/3 में जाने के लिए विकल्प के रूप में खसरा संख्या 401, 396/2 के अलावा कोई विकल्प नहीं** है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष **उतरदाता संख्या 01 के पति राजूराम ने भी खेत खसर संख्या 396 में आने हेतु एक अन्य आवेदन संख्या 88/2020 भी अपीलांट के विरूद्ध पेश किया गया** जबकि उतरदाता संख्या 01 को भूमि का बेचान उसके पति राजूराम द्वारा ही मूल खसरा संख्या 396 में से किया गया था उतरदाता संख्या 01 व उसके पति राजूराम द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रास्ते के लिए प्रस्तुत दोनों आवेदनों को अपीलांट के प्रार्थना–पत्र में पारित आदेश से दिनांक 01.06.2021 को समेकित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रस्तावित रास्ता खसरा संख्या 396/3 से नहीं लगता है, जिससे उतरदाता संख्या 01 के रास्ता प्राप्त करने की मंशा अधूरी रह जाती है। उपरोक्त विवेचन एवं पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों एवं दस्तावेजात के आलोक में अपीलाधीन आदेश यथावत रखा जाना लाजमी नहीं है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

लिहाजा अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर धौरीमन्ना द्वारा राजस्व आवेदन संख्या 95/2019 बअनवान पारूदेवी बनाम निम्बाराम वगै. में पारित निर्णय दिनांक 08.06.2021 को अपास्त किया जाकर आदेश दिये जाते है कि खसरा संख्या 401 में उसकी पश्चिमी सीमा के सहारे–सहारे लम्बाई 112 गठा एवं चौडाई 03 गठ्ठा (रकबा 17 बिस्वा 05 बिस्वांसी), खसरा संख्या 396 में उतरी सीमा पर लम्बाई 70 गठ्ठा एवं चौडाई 03 गठ्ठा (10 बिस्वा 10 बिस्वांसी) प्रार्थीनी एवं उसके पति राजूराम को आवागमन व रास्ते की सुविधा हेतु भूमि राजस्व अभिलेख में सार्वजनिक रास्ते के रूप में राज्य सरकार के खाते में अभिलिखित किये जाने हेतु तहसीलदार धौरीमन्ना को आदेशित किया जाता है। उक्त दोनों खसरों के मध्य में स्थित खसरा संख्या 396/2 की भूमि समर्पित है इसलिए इसमें से रास्ता दिये जाने की आवश्यकता नहीं है। उक्त भूमि प्रार्थीनी को रास्ते की सुविधा के अलावा अन्य अधिकार अर्जित नहीं रहेगे। ग्राम लुखू पटवार क्षेत्र लुखू की डी.एल.सी. दर 36292/– रूपये प्रति बीघा सिंचित व सड़क पर तथा सिंचित सड़क से दूर डी. एल.सी. दर 32798/– प्रति बीघा अनुसार मालियत रूपये की दुगुनी राशि प्रतिकर के रूप में प्रार्थीनी कार्यालय तहसीलदार धौरीमन्ना में चैक/नकद से जमा करवाये तथा उक्त राशि जमा होने पर तहसीलदार धोरीमन्ना बाद भुगतान आदेश की पालना में राजस्व रिकॉर्ड में रास्ते का अमलदरामद करे। खसरा संख्या 401 के खाते में से कम हुई भूमि के अनुसार उक्त राशि का भुगतान नियमानुसार कर दिया जावे।

17/9/2021

(नखतदान बारहठ)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 17.09.2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर